



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166364

सुरक्षित रखा गया: 21.07.2026

सुनाया गया: 10.08.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 9600 वर्ष 2026

राजीव और 6 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : सचिन मलिक

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मनीष कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन मलिक, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार सिंह, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि इसे स्वीकार करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश, बागपत द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 413 वर्ष 2018 (राज्य बनाम राजीव एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 200 वर्ष 2018, धारा 147, 148, 149, 302, 201, 404, 120-बी भा.दं.सं., थाना- छपरौली, जिला- बागपत से उद्भूत है, में पारित दिनांक 31.10.2025 के आदेश को निरस्त किया जाए, जिसके द्वारा गवाहों, अर्थात् सुभाष, सेवाराम और पंकज को बचाव साक्षी के रूप में तलब किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन संख्या 67-बी को अवैध रूप से निरस्त कर दिया गया है।
3. संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने दिनांक 30.05.2018 को आवेदकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने उसके पति को गोली मार दी और साक्ष्य से बचने के लिए उसके शव को अपने साथ कार में ले गए। जांच के दौरान, ग्राम लूम के जंगल से एक इंडिगो कार गवाहों सुभाष और सेवाराम की उपस्थिति में बरामद की गई। इसके पश्चात् दिनांक 30.05.2018 को दो अन्य अभियोजन साक्षियों, मोहनलाल और पंकज की उपस्थिति में चार कारतूस तथा रक्तरंजित मिट्टी बरामद की गई। तीनों गवाहों, सुभाष, सेवाराम और पंकज के बयान धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किए गए और आपत्तिजनक सामग्री एकत्र करने के पश्चात् दिनांक 25.07.2018 को आवेदकों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुल 15 अभियोजन साक्षियों को आरोप-पत्र में दर्शाया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विचारण की कार्यवाही के दौरान, आवेदकों ने दिनांक 23.09.2025 को आवेदन संख्या 67-बी प्रस्तुत कर तीन अभियोजन साक्षियों, अर्थात् सुभाष, सेवाराम और पंकज को वापस बुलाकर बचाव साक्षियों के रूप में परीक्षित किए जाने की प्रार्थना की।
5. तथापि, विद्वान सत्र न्यायाधीश, बागपत ने आक्षेपित दिनांक 31.10.2025 के आदेश द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन संख्या 67-बी को निम्नलिखित तीन आधारों पर निरस्त कर दिया:

“I. कि दिनांक 01.05.2019 तथा 19.07.2019 के आदेशों द्वारा सुभाष, सेवाराम और पंकज को क्रमशः अभियोजन साक्षियों के रूप में कार्यमुक्त कर दिया गया है।

II. दूसरे, इस आधार पर कि अभियुक्तों के बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किए जा चुके हैं और उन्होंने अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया है।

III. और अंततः, इस आधार पर कि आवेदन संख्या 67-बी विचारण को और विलंबित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।”

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आरोप-पत्र में उक्त तीनों गवाहों को अभियोजन साक्षियों के रूप में परीक्षित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था और उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया गया है, तथापि मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए उन्हें वापस बुलाकर बचाव साक्षियों के रूप में परीक्षित किया जाना आवश्यक है। आगे तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदन संख्या 67-बी को निरस्त करते समय विधि की स्थापित स्थिति के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश की भी उपेक्षा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की है। अतः आक्षेपित आदेश अवैध, त्रुटिपूर्ण तथा विधि की दृष्टि से कायम रखने योग्य नहीं है और अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण का पूर्ण अधिकार है, भले ही उसने बचाव साक्ष्य के चरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार किया हो।

7. तथापि, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2/प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उक्त अभियोजन साक्षियों को बचाव साक्षियों के रूप में परीक्षित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि विचारण वर्तमान में बहस के चरण में है।
9. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुंदर लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, मनु/एससी/0799/2024** में यह अभिनिर्धारित किया है: “कार्य से मुक्त किए गए अभियोजन साक्षी को बचाव साक्षी के रूप में परीक्षित करने पर कोई रोक नहीं है और अभियोजन के लिए यह खुला रहेगा कि वह उक्त साक्षियों से प्रति-परीक्षण करे, क्योंकि उक्त साक्षी के साक्ष्यात्मक मूल्य पर विचार करना विचारण न्यायालय का कार्य है, जब वह अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगा।”
10. इस स्तर पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि धारा 311 दं.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय को कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में तलब करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति में ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका पहले ही परीक्षण किया जा चुका है, वापस बुलाने और उसका पुनः परीक्षण करने की शक्ति भी सम्मिलित है। इस शक्ति का प्रयोग तब किया जाना है, जब न्यायालय यह पाता है कि मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए किसी साक्षी को तलब करना/वापस बुलाना आवश्यक है। न्याय का सर्वोच्च

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किसी भी साक्षी को बुलाने की न्यायालय की शक्ति पर विधि द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

11. धारा 233 दं.प्र.सं. का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जो निम्नवत् है:

- “1. जहां अभियुक्त को धारा 232 के अंतर्गत दोषमुक्त नहीं किया जाता है, वहां उसे अपने बचाव में प्रवेश करने तथा उसके समर्थन में उपलब्ध कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
2. यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन प्रस्तुत करता है, तो न्यायाधीश उसे अभिलेख के साथ रखेगा।
3. यदि अभियुक्त किसी साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने अथवा किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत कराने के लिए कोई प्रक्रिया जारी किए जाने हेतु आवेदन करता है, तो न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया जारी करेगा, जब तक कि वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह न समझे कि ऐसा आवेदन इस आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए कि वह उत्पीड़न या विलंब के उद्देश्य से अथवा न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए किया गया है।”

12. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट है कि धारा 233(3) दं.प्र.सं. में विशेष रूप से यह प्रतिबंध लगाया गया है कि तीन विशिष्ट आधारों को छोड़कर न्यायालय बचाव साक्षियों को तलब किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त नहीं करेगा। यह भी स्पष्ट है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने कोई ठोस एवं युक्तिसंगत कारण बताए बिना मुख्यतः इस आधार पर आवेदन संख्या 67-बी को निरस्त कर दिया कि तीनों अभियोजन साक्षियों को आरोप-पत्र में अभियोजन साक्षियों के रूप में नामित किया गया था और उन्हें कार्यमुक्त



कर दिया गया है, इसलिए उन्हें बचाव साक्षियों के रूप में परीक्षित नहीं किया जा सकता।
यह और कुछ नहीं, बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

13. प्रस्तुत किए गए तर्कों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में, विद्वान सत्र न्यायाधीश, बागपत द्वारा पारित दिनांक 31.10.2025 का आदेश एतद्वारा अपास्त किया जाता है और धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मामला संबंधित न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि यदि आवेदक कार्यमुक्त किए गए अभियोजन साक्षियों को बचाव साक्षियों के रूप में परीक्षित किए जाने हेतु नया आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उस आवेदन को विधि के अनुसार स्वीकार किया जाए; तथापि, अभियोजन के लिए यह खुला रहेगा कि वह उक्त साक्षियों से उपयुक्त चरण पर प्रति-परीक्षण कर सके।

14. उपर्युक्त निर्देश के साथ, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10 अगस्त, 2026

शिवानी श्री

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)